निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 25 (डी) 3 लेखा/पार्ट–II/आकाशि/2009/ 111 दिनांक 14.6.11

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय
2. समस्त संयुक्त निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी/
   निदेशालय कालेज शिक्षा।

विषय :–महालेखाकार कार्यालय, आन्तरिक जांच दलों, भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना के क्रम में ।

प्रसंग :–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 57–61 दिनाक 21.4.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑडिट समिति की बैठक दिनांक 19–04–11 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके महाविधालय से सम्बन्धित महालेखाकार जांच दलो, , आन्तरिक जांच दलो, , भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना दिनांक 3.5.11 से 6.5.11 तक आप एवं महाविधालय के लेखाकार के साथ निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा लिखा गया था।

आपके महाविधालय से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया अनुच्छेदों की पालना आपके द्वारा निदेशालय में उक्त तिथियों को प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उच्चाधिकारीयों के निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है जो राजकीय कार्य में उदासीनता का परिचायक है। अतः आपके महाविधालय से सम्बन्धित बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार ठोस एवं पूर्ण अनुपालना निर्धारित प्रपत्र में मय आवश्यक दस्तावेंजों के दिनाक 30.06.11 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमाक : एफ 25 (डी)3 लेखा/पार्ट–II/आकाशि/2009/ 111 दि0 14.6.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज0 जयपुर
4. सहायक निदेशक, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ महाविद्यालयों के प्राचार्यो को पालना हेतु पाबन्द करें साथ ही आपके कार्यालय के बकाया पैराज की पालना भी प्रस्तुत करें ।
5. लेखाकार सम्बन्धित महाविधालय को अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि बकाया पेराज की ठोस एवं पूर्ण अनुपालना लेकर उक्त तिथि तक निदेशालय में उपस्थित होवें ।
6. संयुक्त निदेशक (P&C) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

D:\College Accounts\accounts vibhag\Kiran ji\KIRAN JEE.doc